R. M. M. Law College
Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part-Time Law Teacher
Subject - Evidence Act
Part-IIIrd

3.4 (संस्वीकृति का मूल्य एवं प्रभाव / Effect and Value of Confession)

संस्वीकृति अपराध के लिए निर्णायक प्रमाण मानी जा सकती है। यदि यह स्वतंत्र रूप से साबित हो सकता है कि संस्वीकृति स्वेच्छापूर्वक की गई है, दबाव बिना और स्वेच्छा से की गयी संस्वीकृति यदि यह स्वतंत्र रूप से साबित कर दी जाती तो अपराध का सबसे सबसे अधिक प्रभावशाली प्रमाण मानी जाती है। फिर भी न्यायालय केवल संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध नहीं करते बल्कि साक्ष्य साबित किये हुए तथ्यों द्वारा उसके समर्थन से संतुष्ट और सपार्श्विक परिस्थितियों से उसकी युक्तियुक्त संगति की मांग करते हैं। बिना इस समर्थन तथा सम्पुष्टि के अभियुक्त को केवल संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध नहीं करते।

(A.I.R. 1952) इस सम्बन्ध में पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य के वाद में उल्लेख किया गया है। इस केस में पलविंदर कौर पर अपने पति का जहर देकर हत्या का आरोप लगा था। जिसमें उसने अपने बयान में कहा कि उसके पति को शिकार खेलने और फोटो खींचने के शौकिन होने की बात कही। और फोटो साफ करने का कुछ पदार्थ आलमारी में रखी हुई थी उसी आलमारी में पलविंदर दवा बाजार से

माल (बरामद) सकती। दोनों शीशी में एक में पेट्रोल व, दूसरा भी और उसी में फोटो साफ करने की (पदार्थ) द्रव्य था। पुलिस ने उसके पास फोटो साफ करने वाली पदार्थ रसायन और गिर पड़ा तथा मान गया। इस सम्पूर्ण कथन को पढ़ने से अभियुक्त के निर्दोष होने का निष्कर्ष निकलता था अतः यह संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य को अग्राह्य माना गया है।

संस्वीकृति किसी भी रूप में हो सकती है। यदि संस्वीकृति न्यायालय में की जाती है तब न्यायिक संस्वीकृति कही जायेगी और जो संस्वीकृति न्यायालय के बाहर की जाती है उसे न्यायिक वाह्य संस्वीकृति कहेंगे। संस्वीकृति शब्दों के साथ बातचीत से पैदा हो सकती है और यदि कोई इसे सुन लेता वह उसका साक्ष्य दे सकता है।